ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ≡ भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय



GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733) _

द्वितीय वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के सदस्यों की दूसरी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 9 नवंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे अल्प सूचना पर ऑर्डनेंस इक्किपमेंट फैक्ट्री मुख्यालय, जीटी रोड कानपुर यूपी 208013 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियों के साथ प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना।

"यह संकल्प लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, जैसा कि पहले रखा गया था बैठक को एतद्द्वारा प्राप्त किया जाएगा, विचार किया जाएगा और अपनाया जाएगा।"

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना:

निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार, अंतर्निहित नियमों के साथ पढ़ें, एम/एस टंडन सेठ एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पारिश्रमिक, (एफआरएन: सीआर0449), वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या/सीए वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार,जीआईएल(1)/257 दिनांक 13/09/2023 द्वारा कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त; ऑडिट फीस केवल 7,00,000/- रुपये (टीए/डीए सहित) पर तय की जाएगी।

विशेष कार्यः

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य सभी लागू प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षक को देय पारिश्रमिक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करके पृष्टि करना, एक सामान्य संकल्प के रूप में संकल्प का पालन करना।

निर्णय लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः संशोधन के अनुसार -उसका अधिनियमन, फिलहाल लागू है), 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) का पारिश्रमिक और एम/एस, आर एम बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, कानपुर, (एफआरएन: 000022) को देय लागू जीएसटी जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, और इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

आगे संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कार्य करने और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अलग से अधिकृत किया गया है।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

> > (**अर्चना गुप्ता**) कंपनी सचिव

स्थान : कानपुर दिनांक: 30/10/2023

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ≡ भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय



GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733) =

टिप्पणियाँ:

- 1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य पिरपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25.09.2023 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक पिरपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए पिरपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कंपनियों को अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है। सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, इसलिए, उपरोक्त पिरपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आयुध उपस्कर निर्माणी मुख्यालय, जीटी रोड, कानपुर-208013 होगा।
- 2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंिक एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
- 3. अधिनियम की धारा 113 के अनुसार, शेयरधारक (अर्थात, व्यक्तियों/एचयूएफ/एनआरआई, आदि के अलावा) से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिए अधिकृत करते हुए अपने बोर्ड/शासी निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की स्कैन की हुई प्रति भेजें तथा एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से corporate@glidersindia.in पर वोट करें।
- वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- 5. इन व्यवसायों से संबंधित दस्तावेज़ एजीएम की तारीख तक सभी कार्य दिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
- 6. एमसीए पिरपत्रों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत उनके संबंधित ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है। यदि सदस्य अपने ई-मेल पते/डाक पते को अद्यतन करना चाहते हैं, तो वे कंपनी से इसे कंपनी के रिकॉर्ड में अद्यतन करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं।
- 7. सदस्य बैठक से 2 दिन पहले साझा किए जाने वाले लिंक का उपयोग करके वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे।
- 8. जैसा कि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है बैठक की कार्यवाही से सुचारू संचालन के लिए, सदस्यों को बैठक के 2 कार्य दिवसों से पहले अपने नाम, फोलियो नंबर, ई-मेल पते का उल्लेख करते हुए दिए गए ई-मेल आई डी पर अपने विचार/प्रश्न भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- 9. बैठक का मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा जब तक कि किसी सदस्य द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अनुसार मतदान की मांग न की जाए। बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर परिणाम प्रत्येक एजेंडा आइटम को निपटाने के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किए जाएंगे।
- 10. एजीएम बुलाने वाले नोटिस और व्याख्यात्मक वक्तव्य में संदर्भित सभी दस्तावेज, सदस्यों के निरीक्षण के लिए कंपनी की वेबसाइट glidersindia.in पर उपलब्ध है।
- 11. 95% शेयरधारकों (मतदान में) से सहमति प्राप्त होने के बाद दूसरी वार्षिक आम बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

> (अर्चना गुप्ता) कंपनी सचिव

स्थान : कानपुर दिनांक: 30/10/2023

ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ≡ भारत सरकार का उपक्रम रक्षा मंत्रालय



GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक की संपुष्टि:

बोर्ड ने जेम पोर्टल के माध्यम से चयन के आधार पर मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कानपुर, (FRN: 000022) की नियुक्ति के मामले में 26 सितंबर, 2023 को सर्कुलेशन द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की लागत ऑडिट करने के लिए 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) के पारिश्रमिक और लागू जीएसटी देय।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर नियम), 2014 के नियम 14 के अनुसार, लागत ऑडिटर को देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा किसी और, प्रस्ताव/ समाधान में रुचि नहीं रखते हैं। निदेशक मंडल, सदस्यों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसार ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड

> > (अर्चना गुप्ता) कंपनी सचिव

स्थान : कानपुर दिनांक: 30/10/2023





GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733)

NOTICE OF SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Second Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Gliders India Limited (GIL) will be held at shorter notice on Thursday, November 9, 2023 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Ordnance Equipment Factory Headquarter, GT Road Kanpur UP 208013 (deemed venue) through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual means ('OAVM') to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

- To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31st March, 2023 together with the Reports of the Board of Directors, Auditors and Comments of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) thereon.
 - "RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023 along with the Board's Report, Statutory Auditors report and Comments of Comptroller & Auditor General of India thereon, for the financial year 2022-23 as placed before the meeting be and are hereby received, considered and adopted."
- 2. To fix the remuneration of Statutory Auditors for the financial year 2023-24:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with the underlying rules, the remuneration of M/s. Tandon Seth & Co, Chartered Accountants, (FRN:CR0449), appointed as Statutory Auditors of the Company by the office of Comptroller and Auditor General of India for the F.Y. 2023-24 vide letter No./CA. V/ COY/CENTRAL GOVERNMENT,GIL(1)/257 dated 13/09/2023; be fixed on audit fees of Rs. 7,00,000 /- only (inclusive of TA/DA).

SPECIAL BUSINESS:

3. To ratify the remuneration payable to the Cost Auditor appointed by the Board of Directors of the Company for the financial year 2023-24, pursuant to Section 148 and all other applicable provisions of Companies Act, 2013, by passing with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), the remuneration of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only) plus applicable GST payable to M/s R. M. Bansal & Co., Cost Accountants, Kanpur, (FRN: 000022) who was appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditor to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year 2023-24, be and is hereby ratified.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company be and are hereby severally authorized to do all acts and take all such steps as may be necessary, proper or expedient to give effect to this resolution."


By Order of the Board For **Gliders India Limited**

Place: Kanpur Date: 30/10/2023

(Archana Gupta)

Company Secretary

Membership No. - A23238





GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733)

NOTES:

- 1. Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular No. 09/2023 dated 25.09.2023 and all other relevant circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars") has allowed the Companies to conduct their AGM through VC/OAVM, without the physical presence of members at common venue. Hence, in accordance with aforesaid Circulars and provisions of Companies Act, 2013 (the "Act"), the AGM of Company is being held through VC/OAVM. The Deemed venue of AGM shall be the Registered office of the Company at Ordnance Equipment Factory Headquarter, G.T. Road, Kanpur-208013.
- 2. Pursuant to the provisions of the Act, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. Since the AGM is being held in accordance with the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the Proxy Form, Attendance Slip and Route map of the AGM are not annexed to this Notice.
 - Pursuant to section 113 of the Act, Shareholder (i.e., other than individuals/HUF/NRI, etc.) are requested to send and scanned copy of resolution passed by its board/governing body authorizing their representative(s) to attend and vote at AGM through VC/OAVM at corporate@glidersindia.in.
- 3. Members attending the AGM through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of Act.
- 4. The documents relating with these businesses are available for inspection till the date of AGM on all working days (except on Saturday and Sunday) at the Registered Office of the company from 10:00 a.m. to 1:00 p.m.
- 5. In compliance with MCA Circulars, Notice of the AGM along with Annual Report for F.Y. 2022-23 are being sent through electronic mode to all members at their respective email addresses registered with Company. In case Members wish to update their e-mail address/ postal addresses, they may request to the Company in writing to update the same in the records of company.
- 6. Members will be able to join the AGM through VC by accessing the link which shall be shared 2 days before meeting.
- 7. Members are encouraged to send their questions/queries if any, in advance mentioning their names, folio number, e-mail address before the 2 working days of
 - AGM for the purpose of smooth conduct of AGM through VC/OAVM to enable the company to provide the adequate reply during the AGM .
- 8. The voting of the meeting shall be conducted by show of hands unless a poll in accordance with section 109 of the Companies act, 2013 is demanded by any member. Results on the resolutions proposed to be passed at the meeting will be declared by the Chairman after transacting each of the Agenda item.
- 9. All documents referred to in the Notice calling the AGM and the Explanatory Statement are available on the website of the Company at glidersindia.in for inspection by the Members.
- 10. The 2nd Annual General Meeting is being called on the shorter notice after receiving the consents from 95 % of Shareholders (in voting).

By Order of the Board
For Gliders India Limited

Place: Kanpur Date: 30/10/2023

(Archana Gupta)

Company Secretary





GLIDERS INDIA LIMITED
A GOVT. OF INDIAENTERPRISES
MINISTRY OF DEFENCE

(CIN: U17299UP2021GOI150733)

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 3: Ratification of Remuneration to Cost Auditors for FY 2023-24:

The Board, on the basis of selection through Gem portal, has approved the resolution passed by the circulation on September 26, 2023, the matter of appointment of M/s R. M. Bansal & Co., Cost Accountants, Kanpur, (FRN: 000022) at a remuneration of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only) plus applicable GST payable to conduct the Cost Audit of the Company for the financial year 2023-24.

In accordance with the provisions of Section 148 (3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit & Auditor Rules), 2014, the remuneration payable to the Cost Auditor is required to be ratified by the members of the Company.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution. The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for the approval of the members.

By Order of the Board For **Gliders India Limited**

Place: Kanpur Date: 30/10/2023

(Archana Gupta)
Company Secretary